

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/574

मुकदमा नम्बर 191/2024

दर्ज दिनांक— 13.12.2024

शम्भुदयाल उर्फ बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद जाति जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जाखल,  
तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री शिशुपाल सिंह कुलहरी

अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 21.05.2025

प्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की सरहद में भूमि खाता सं. नया 323 पुराना 253 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1526/824 रकबा 0.05 है, खसरा नं. 824 रकबा 0.9550 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.01 है भूमि जिसमें प्रार्थी का नाम शम्भुदयाल पुत्र सुरजमल के स्थान पर बाबूलाल शर्मा पुत्र दुर्गाप्रसाद शर्मा दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ़ की और से पैरा. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/7574 दिनांक 09.05.2025 पेश की गई।

बहस उभय पक्ष पेश होने पर बगोर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रा. पत्र के अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की सरहद में भूमि खाता सं. नया 323 पुराना 253 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1526/824 रकबा 0.05 है, खसरा नं. 824 रकबा 0.9550 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.01 है भूमि जिसमें प्रार्थी का नाम शम्भुदयाल पुत्र सुरजमल के स्थान पर बाबूलाल शर्मा पुत्र दुर्गाप्रसाद शर्मा दुरुस्त व दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( जय सिंह )RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
जिला-झुझुनू